59

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1261–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–01–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला– रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 356/अ–74/निग0/2010–11

त्रिविक्रम प्रसाद द्विवेदी तनय स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
निवासी –ग्राम सगरा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

1– यशोदानन्दन द्विवेदी तनय स्व0 चन्द्रशेखर प्रसाद द्विवेदी
निवासी –ग्राम सगरा, तहसील हुजूर, जिला–रीवा (म0प्र0)

2– मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री रावेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक,
श्री प्रवेश मिश्रा अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/4/2017 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला–रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–01–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सगरा स्थित विवादित भूमि आराजी न0 223/2 रकबा 0.607 आरे एवं 223/5 रकबा

0.048 आरे का नक्शा तरमीम करने हेतु अनावेदक क्र0 1 यशोदानन्दन द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला–रीवा के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25–05–2011 को नक्शा तरमीम के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रकरण क्र0 356/अ–74/निग0/2010–11 प्रस्तुत किया जिसमें आदेश दिनांक 24–1–12 को आवेदक की निगरानी खारिज की तथा तहसीलदार का नक्शा तरमीम का आदेश स्थिर रखा। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही करते समय उसे सूचना नहीं दी गई। मौके की स्थिति तथा कब्जा अनुसार नक्शा तरमीम नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही मौके स्थिति अनुसार की गई है तथा नक्शा की तरमीम की सूचना विधिवत सरहदी काश्तकारों को दी गई है। सूचना पत्र में आवेदक की पत्नी के हस्ताक्षर बने हुये हैं। इस प्रकार आवेदक का यह कहना गलत है कि नक्शा तरमीम की कार्यवाही की जानकारी उसे नहीं है। यह भी तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जा कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जायें।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि नक्शा तरमीम हेतु जारी की गई सूचना आवेदक की पत्नी द्वारा प्राप्त की गई तथा उक्त सूचना पत्र उसके हस्ताक्षर अंकित हैं। राजस्व

निरीक्षक द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गई है। तहसीलदार द्वारा आवेदक द्वारा उठाई गई आपत्ति जो कि स्वत्व के संबंध में इस आधार पर निरस्त की गई है कि नक्शा तरमीम या सीमांकन से स्वत्व प्राप्त नहीं होते। स्पष्ट है कि आवेदक की आपत्ति का निराकरण तहसीलदार द्वारा किया जाकर नक्शा तरमीम की पुष्टि की गई है। तहसीलदार द्वारा किये गये नक्शा तरमीम के आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा भी स्थिर रखा गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का आधार नहीं होने से यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 24–1–12 एवं तहसीलदार हुजूर जिला रीवा का आदेश दिनांक 25–5–11 विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाते हैं।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर